न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1607—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19—03—2014 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 170/अपील/2010—11.

.....

चन्द्रिका प्रसाद ब्राहम्ण पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
निवासी सकोला तहसील व जिला
अनूपपुर म0प्र0

---- आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती माया देवी पुत्री विन्धेश्वरी प्रसाद पत्नी
रामदुलारे ब्राहम्ण निवासी ग्राम पचौहा तहसील
व जिला अनूपपुर म0 प्र0

---- अनावेदक

.....

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 25.9.2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उमरिया जिला उमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 19—03—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के पक्ष में मौजा सकोला तहसील अनूपपुर स्थित आराजी खसरा न0 53 रकवा 0.87 है0 एवं खसरा न0 54/1ख रकवा 1.337

है0 का नामांतरण भूमि के पूर्व पटटे्दार विन्धेश्वरी प्रसाद पिता अनन्तराम ब्राहम्ण द्वारा अपने स्वामित्व की उक्त आराजी जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की अर्जित श्रुदा संपत्ति, है जिस पर आवेदक का हक व हिस्सा था, और वाद आराजी पर आवेदक ही एक अरसे से कब्जा दखल में चला आ रहा था जिसके कारण स्व0 बड़े पिता विन्धेश्वरी प्रसाद द्वारा जरिये नामांतरण पंजी कमांक 14 आदेश दिनांक 22.10.1984 के द्वारा नामंतरण करा दिया गया था। इसी नामांतरण से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर के न्यायालय में अपील 27 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 19.3.14 को धारा–5 का आवेदन स्वीकार कर लिया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक को सन् 1984 में आवेदक के पक्ष में हुये नामांतरण की जानकारी थी तथा उसे यह भी जानकारी थी कि निगरानीकर्ता बाद आराजी पर बैंक से कर्ज लेकर कुंआ का निर्माण भी कराया है जिस पर अनावेदिका की ओर से कभी कोई आपत्ति नहीं की गई और न ही उसके पिता द्वारा कराये गये नामांतरण के विरूद्व कोई अपील व निगरानी नहीं की तथा अब 27 वर्ष वाद यह निगरानी करने का कोई औचित्य नहीं था। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अनावेदिका द्वारा अपील के साथ धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया तथा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया तथा आवेदन पत्र में यह बताया गया कि दिनांक 11.6.11 को विवादित भूमि पर खाद डालने की बात पर विवाद हुआ और दिनांक 15.6.11 को अनावेदिका द्वारा पटवारी से संपर्क कर दिनांक 16.06.11 को नकल का आवेदन देते हुये दिनांक 7.7.11 को नकल प्राप्त की व नकल प्राप्त होने के बाद वह बीमार हो गई जिससे दिनांक 15.7.11 को अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपील तैयार कराते हुये दिनांक 18.7.11 को अपील पेश कर रही है तथा यह याचना की गई है कि यदि अपील पेश करने में विलंब पाया जाये तो उसे मांफ कर दिया जावे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी तर्क किया गया है कि धारा–5 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र में यदि देरी की अवधि बहुत ही कम हो यानी 2–4 दिन के अन्दर ही आदेश के पश्चात अपील प्रस्तुत की जाती है तो उसे किसी तरह से सद्भावी होना कहा जा सकता है, परन्तु 27 वर्ष

पश्चात प्रस्तुत अपील की किसी भी दृष्टिकोण से समय के अन्दर नहीं माना जा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में इन 27 वर्षो को देरी न मानकर अपील म्याद के अन्दर मानने में त्रुटि की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदिका के अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदिका के पिता विन्धेश्वरी प्रसाद ब्राम्हण के स्वत्व अधिपत्य की भूमि है उक्त भूमि पर विन्धेश्वरी प्रसाद अपने जीवन पर्यन्त अपनी पुत्री अनावेदका के साथ काबिज दाखिल रहकर काश्तकारी करता रहा। विन्धेश्वरी प्रसाद के मृत्यु पश्चात उक्त भूमियों पर अनावेदिका वहैसियत वैध वारिसान विधेश्वरी प्रसाद काबिज दाखिल होकर उनका उपयोग करती चली आ रही है। अनावेदिका के अधिवक्ता का तर्क था कि आवेदक द्वारा फर्जी दस्तखत बनाकर नामांतरण पंजी कमांक 14 में गैर कानूनी इबारत लिखाकर आलोच्य आदेश दिनांक 22.10.1984 के माध्यम से अपने नाम नामांतरण आदेश पारित करा रखा है जो अधिकारिता विहीन है। अनावेदिका के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विवादित भूमि अनावेदिका के पिता विन्धेश्वरी प्रसाद आत्मज अनन्तराम ब्राहम्ण के स्वत्व आधिपत्य की भूमि हैं उक्त भूमि का नामांतरण बिना किसी वैधानिक हस्तातंरण विलेख के ही राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया हैं जबकि कानूनन राजस्व निरीक्षक को कभी भी वैधानिक हस्तान्तरण विलेख के अभाव में नामांन्तरण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे आलोच्य आदेश पारित कर कानूनी भूल की गई जो कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदिका के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा इस्तेहार का विधिवत प्रकाशन कराये बगैर ही एवं अभिलिखित भूमि स्वामी व उसके वारिस को व्यक्तिशः नोटिस दिये बगैर ही संहिता की धारा 109, 110 के मंशा के विपरीत आलोच्य आदेश पारित कर भारी भूल की गई है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का का अनुरोध किया गया है।

5– उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनावेदिका द्वारा म्याद अधिनियम के आवेदन पर नामांतरण आदेश दिनांक 22.10.84 से नामांतरण की नकल प्रस्तुत करने का आवेदन दिनांक 17.6.11 के संबंध में कोई समुचित व स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है और न ही नकल प्राप्त करने के बाद जो देरी हुई है उसके संबंध में ही दिन प्रतिदिन का कारण न दर्शाया गया है। आवेदिका द्वारा धारा–5 के आवेदन के पैरा –3 में लेख किया गया है कि नकल प्राप्त करने के पश्चात वह बीमर हो गई थी, लेकिन उनके द्वारा बीमारी का प्रामण –पत्र/बीमारी का पर्चा आदि कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत एम0 पी0 वीकली नोट 2012 पार्ट–3 पुष्पा बाई विरूद्व संतोष कुमार में 10 वर्ष 8 माह 26 दिन इसी प्रकार एम0 पी0 वीकली नोट 2012 पार्ट–1 शार्ट नोट 55, 317 दिन इसी प्रकार एम0 पी0 वीकली नोट 2010 पार्ट–2, 108 म0 प्र0 शासन विरूद्व के0 एल0 आसरे में 1648 दिन की देरी को अपील में धारा–5 म्याद अधिनियम में यदि समुचित स्पष्ट व पर्याप्त कारण देरी के संबंध में नहीं बताये गये हैं तो ऐसे आवेदन को क्षमा किये जाने योग्य नहीं माना गया तथा म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है।** अनावेदक अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि इस्ताहार का प्रकाशन नहीं कराया गया है जबकि नामांतरण पंजी कमांक–14 में इस्तहार की प्रति चस्पा है और उसमें दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अगुंष्ठ निशान भी लगे हुये हैं, यह भी तर्क मानने योग्य नहीं है कि वह विन्धेश्वरी के हस्ताक्षर नहीं है जबकि उनके द्वारा नामांतरण में सहमति दी गई है और हस्ताक्षर भी है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा 27 वर्ष पश्चात धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की गई है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 170/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 19.3.14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर